बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०–17/एल 2–11/2017 **पटना, दिनांक :–**

डा० प्रभात कुमार, तत्कालीन सह–प्राध्यापक, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना संप्रति सेवानिवृत्त प्राध्यापक, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को विभागीय पत्रांक–1273(17) दिनांक–09.12.2003 द्वारा कार्यकारी व्यवस्थान्तर्गत प्राध्यापक के पद पर जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर में पदस्थापित किया गया, जिसके विरूद्ध इन्होंने माननीय पटना उच्च न्यायालय में समादेश याचिका संख्या–14016/2003 दायर की गयी, जिसमें पारित अंतरिम न्यायादेश में इनके विरूद्ध किसी प्रकार का विपरीत आदेश पारित नहीं करने का न्यायादेश दिया गया परन्तु दिनांक–08.07.2005 को पारित अंतिम न्यायादेश में उक्त याचिका खारिज कर दी गयी।

माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम न्यायादेश के उपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या–1273(17) दिनांक–09.12.2003 के अनुपालनार्थ इन्होंने जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर में दिनांक–16.07.2005 के पूर्वाहन में प्रभार ग्रहण किया।

अतः डा0 प्रभात कुमार दिनांक–17.12.2003 से 15.07.2005 तक प्रभार रहित अवधि को उनके द्वारा देय अभ्यावेदन के आधार पर बिहार सेवा संहिता के नियम–227,232,234,236 एवं 248 के तहत निम्न प्रकार से विनियमित किया जाता है :–

(i) दिनांक–17.12.03 से 12.08.04 – 240 दिनों के उपार्जित अवकाश के रूप में।
(ii) दिनांक–13.08.04 से 27.10.04 – 76 दिन अर्द्धवैतनिक अवकाश के रूप में।
(iii) दिनांक–28.10.04 से 15.07.05 – 261 दिन असाधारण अवकाश के रूप में।

2. उक्त अवधि का विनियमन इस शर्त के साथ किया जाता है कि डा0 कुमार द्वारा इस अवकाश आदेयता हेतु पूर्व में भुगतान प्राप्त नहीं किया गया हो।

ह0/–
(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :– 17/एल 2–11/2017–239(17) **पटना, दिनांक :–** 5/4/18

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–प्राचार्य, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/डा० प्रभात कुमार, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/4/18
सरकार के विशेष सचिव।

D/vibha ji/Aadesh